तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/11/25	पीठासीन अधिकारी ... में व्यस्त है। पत्रावली पेश हो दि. 13/1/26 वास्ते ... नियत ... को पेश हो।
13/1/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 14/1/26 को पेश हो।
14/1/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 19/1/2026 को पेश हो।
19/1/2026	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 21/1/2026 को पेश हो।
21/1/26	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 28/1/2026 को पेश हो।
28/1/2026	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु. है। वकील प्रतिवादी की प्रा०पत्र O.7 R.11 CPC पर बहस सुनी गई एवं लिखित बहस वादी का अवलोकन किया गया। बहस पर मननोपरान्त प्रा०पत्र O.7 Rule 11 CPC स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 49/2020

श्री सूरजमल पुत्र हरनाथ जाति माली उम्र 60 साल निवासी ग्राम मालियों की बाडी किशनगढ जिला अजमेर राज0

वादीगण

बनाम

श्री कालूराम पुत्र हरनाथ जाति माली निवासी मालियों की बाडी किशनगढ, जिला अजमेर राज0 व अन्य

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनांकः 28.01.2026

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2021 को प्रतिवादी सं0 1, 02 द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि – प्रस्तुत वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अधीन मालियो की बाडी किशनगढ के खसरा संख्या 2066 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा के बाबत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन धारा 188 का वाद खातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान स्पष्टतः स्पष्ट है। Sec- 188 Injunction against wrongful ejectment& (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. यह पहलू स्पष्ट है कि, वादी खसरा संख्या 2066 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वान्सी के खातेदार नही है। अतः इस परिपेक्ष में प्रस्तुत वाद उपरोक्त खसरा संख्या 2066 के बाबत् विधि अनुसार अवधारर्णीय नहीं है। यह पहलू प्रथम दृष्टयां ही वाद अभिवचन के साथ साथ, विधिक पहलू से स्पष्ट हैं, जिस पर किसी साक्ष्य की आवश्यकता नही है। यह सुस्थापित है कि When statutory provision is provided by law no evidence will be looked into तथा इस प्रकार के सारहीन वादों को सतत रखना अपने आप में विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में आता हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि, वादी का वाद व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावें।

3. वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. की लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी,सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में खातेदार काश्तकार का नही है। इस कारण काश्तकारी अधिनियम लागू नही होता है इस कारण वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादी के इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि यह सही है कि वादी खसरा नम्बर 2066 जो कि मालियो की बाड़ी किशनगढ़ में स्थित है के खातेदार नही है। लेकिन यह भूमि मंदिर रघुनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है और मंदिर की ओर से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 03.12.2003 को निष्पादित कर तीनो को मंदिर की जमीन पर खेती करने हेतु दे रखी है और उसी अनुरूप तीनो ने ही 1,30,000/–रूपये मे मंदिर की देखभाल व व्यवस्था के लिए देकर खेती करने हेतु दी गयी थी इस प्रकार मंदिर की ओर से वादी को खेती करने का अधिकार दे रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार नही है बावजूद उसके वह मंदिर की भूमि पर कृषि कर रहे है क्योंकि उन्हे भी अधिकार वादी की तरह मंदिर की ओर से दिये गये है। वादी ने यह वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा चाहने हेतु प्रस्तुत किया है न कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है उसका दावा मात्र यह है कि उसे भी मंदिर की उपरोक्त कृषि भूमि पर खेती करने व पानी पिलाने हेतु पाबन्द किया जावे कि क्योंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनो ने बराबर बराबर राशि इक्ठ्ठा कर मंदिर के पुजारी को देकर इकरारनामा

28/1/26
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

निष्पादित कराया है। इस प्रकार मंदिर की ओर से उसे खेती करने हेतु अधिकार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

4. दिनांक 28.01.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध मंदिर की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2066 वर्तमान में मन्दिर श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है तथा वादी उक्त भूमि का खातेदार नहीं है, द्वितीयतः वादी उक्त भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वादी का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी सं0 01, 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत् को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधी द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/26

रजत यादव (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)